न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः अपील / 107 / 2022 दायर दिनांकः 04.10.2022

औमप्रकाश पुत्र श्री पूर्णराम जाति मेघवाल साकिन संगीता तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

(अपीलांट)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ
2. छोटुराम पुत्र श्री पुर्णराम जाति मेघवाल साकिन संगीता तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
3. बृजलाल पुत्र श्री पूर्णराम जाति मेघवाल साकिन संगीता (फौत)

3/1– लिछमा पत्नी बृजलाल जाति मेघवाल साकिन संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3/2– कृष्णा पत्नी बृजलाल जाति मेघवाल साकिन संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3/3– रामस्परूप पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल साकिन संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3/4– मुकेश पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल साकिन संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3/5– भागवन्ती पुत्री बृजलाल जाति मेघवाल साकिन संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(रेस्पोडेन्टस)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री राजवीर भादू , श्री अंजनी कुमार चोटिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री धनवीर सिंह हुन्दल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 2, 3/1 ता 3/5
3. पैरोकार राज

:: निर्णय :: दिनांक : 21.02.2023

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं 2 व 3/1 ता 3/5 के पति/पिता बृजलाल के नाम बालिग पुत्रो में आंवटन भूमि वाके रोही संगीता आगूणा तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 22 में 10–17 बीघा अनकमाण्ड भूमि की चकबन्दी पैमूद होने से चक 3 एस एल डी के पं0 न0 52/17 मु0 नं0 20 के किला नं0 16/2 ता 25 में 2.695 है0 भूमि पैमूद की गई का नामान्तरण सं0 155 दिनांक 06–02–2022 को दर्ज किया गया, को अधीनस्थ न्यायालय ने गैरकानूनी तरीके से उक्त नामान्तरण को दिनांक 16–06–2022 को निरस्त कर दिया। अपीलान्ट के पिता पूर्णराम पुत्र श्री चतराराम के नाम से रोही संगीता आगूणा के खसरा नं0 22 में 25–00 बीघा बारानी भूमि टी.सी. आवंटन थी। उक्त टी.सी. भूमि को पुख्ता आंवटन करते समय 14–03 बीघा अ0क0 भूमि को पुख्ता आवटन कर शेष 10–17 बीघा भूमि टी.सी. खारिज कर अधिशेष घोषित कर दी गई। उक्त भूमि को अपीलान्ट सं0 1 व रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3/1 ता 3/5 के पति/पिता बृजलाल ने अपने पिता के बालिग पुत्र होने के कारण श्रीमान आंवटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा अपीलान्ट एव रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3/1 ता 3/5 के पति/पिता बृजलाल को जरिये मिसल सं0 97/2008 निर्णय दिनांक 29–03–2008 को 10–17बीघा अनकमाण्ड भूमि किमतन बालिग पुत्रो में आंवटन कर दी। अपीलान्ट के पिता को आवंटित रकबा रोही संगीता आगूणा का बन्दोबस्त विभाग द्वारा चकबन्दी पैमूद करते वक्त अपीलान्ट के पिता पूर्णराम के नाम टी.सी. आंवटन 25–00 बीघा भूमि की पर्चा खतौनी जारी की गई जिसके मुताबिक वाके चक 3 एस एल डी के पं0 नं0 52/17 के किला नं0 1 ता 25/25–00 बीघा भूमि पैमूद हुई। चकबन्दी अपीलान्ट के पिता के टी.सी. आंवटन के वक्त हो चुकी थी। जबकि पैमूद चकबन्दी लागू नही होने के कारण पुख्ता आवंटन अपीलान्ट के पिता को रोही संगीता के खसरा नं0 22 में 14–03 बीघा अ0क0 किया गया। जिसकी समस्त किस्ते जमा करवाने पर अपीलान्ट के पिता पूर्णराम को चक 3 एस एल डी के पं0 नं0 52/17 के किला नं0 1, 2 ता 9, 10–11, 12 ता 14, 15 में 3.505 हे0 अ0क0 भूमि की खातेदारी [illegible] जो [illegible] सम्वत 2070 ता 2073 के खाता सं0 32/1 के पं0 नं0 52/17 मु0 न0 20 के कि[illegible] 0 में 0.228 हे0, 2 ता 9/2.024 है0, 10/1 में 0.228 है0, 11/2 में 0.2[illegible] है0 कुल 3.505 हे0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। शेष अधि[illegible] भूमि चक 3 एस ए[illegible] के पं0 नं0 52/17 मु0नं0 20 के किला नं0 15/2में 0.215 हे0 , 18 ता [illegible] 1.0[illegible] है0, 20, 2[illegible] 0.228 हे0, 21/1 में 0.228 हे0 ता 25/1.012 हे0 कुल 2.695 हे0 [illegible] अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3/1 ता 3/5 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.28 11:59:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पति/पिता बृजलाल को बालिग पुत्रो में आवंटन है मातहत न्यायालय आईएलआर की जांच रिपोर्ट में पर्चा खतौनी 25–00बीघा की जारी होने एवं आवंटन 10–17बीघा का होने के आधार पर इन्तकाल निरस्त कर दिया गया जबकि पर्चा खतौनी जारी होते समय अपीलान्ट के पिता पूर्ण राम को 25–00बीघा बारानी भूमि टी सी आंवटन थी। इसी आधार पर पर्चा खतोनी जारी की गई। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया ।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री राजवीर भादू उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट सं0 2, 3/1 ता 3/5 की तरफ से अधिवक्ता श्री धनवीर हुन्दल तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

3. सर्वप्रथम अन्तर्गत धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गैरकानूनी तरीके से उक्त नामांतरण दिनांक 16.06.2022 को निरस्त कर दिया जिसकी जानकारी अपीलांट को पटवारी हल्का से दिनांक 13.07.2022 को नकल लेने पर हुई। अपील जानकारी के अन्दर मियाद है। अपीलांट द्वारा जानबुझ कर देरी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

4. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है तथा जिसका ना तो अधिवक्ता रेस्पोडेट संख्या 2, 3/1 ता 3/5 ने तथा ना ही रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज ने कोई जवाब पेश किया तथा दौराने बहस भी कोई मौखिक आपत्ति जाहिर नही की गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का कोई प्रतिशपथ पत्र भी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2, 3/1 ता 3/5 तथा पैरोकार राज द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

5. गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं 2 व 3/1 ता 3/5 के पति/पिता बृजलाल के नाम बालिग पुत्रो में आंवटन भूमि वाके रोही संगीता आगूणा तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 22 में 10–17बीघा अनकमाण्ड भूमि की चकबन्दी पैमूद होने से चक 3 एस एल डी के पं0 न0 52/17 मु0 नं0 20 के किला नं0 16/2 ता 25 में 2.695 हे0 भूमि पैमूद की गई का नामान्तरण सं0 155 दिनांक 06–02–2022 को दर्ज किया गया को मातहत अदालत ने गैरकानूनी तरीके से उक्त नामान्तरण को दिनांक 16–06–2022 को निरस्त कर दिया । अपीलान्ट के पिता पूर्णराम पुत्र श्री चतराराम के नाम से रोही संगीता आगूणा के खसरा नं0 22 में 25–00बीघा बारानी भूमि टी सी आवंटन थी । उक्त टी सी भूमि को पुख्ता आंवटन करते समय 14–03बीघा अ0क0 भूमि को पुख्ता आवटन कर शेष 10–17बीघा भूमि टी.सी. खारिज कर अधिशेष घोषित कर दी गई उक्त भूमि को अपीलान्ट सं0 1 व रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3/1 ता 3/5 के पति/पिता बृजलाल ने अपने पिता के बालिग पुत्र होने के कारण श्रीमान आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा अपीलान्ट एव रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3/1 ता 3/5 के पति/पिता बृजलाल को जरिये मिसल सं0 97/2008 निर्णय दिनांक 29–03–2008 को 10–17बीघा अनकमाण्ड भूमि किमतन बालिग पुत्रो में आवंटन कर दी। अपीलान्ट के पिता को आवंटित रकबा रोही संगीता आगूणा का बन्दोबस्त विभाग द्वारा चकबन्दी पैमूद करते वक्त अपीलान्ट के पिता पूर्णराम के नाम टी सी आंवटन 25–00बीघा भूमि की पर्चा खतौनी जारी की गई जिसके मुताबिक वाके चक 3 एस एल डी के पं0 नं0 52/17 के किला नं0 1 ता 25/25–00 बीघा भूमि पैमूद हुई । चकबन्दी अपीलान्ट के पिता के टी सी आंवटन के वक्त हो चुकी थी। जबकि पैमूद चकबन्दी लागू नही होने के कारण पुख्ता आवंटन अपीलान्ट के पिता को रोही संगीता के खसरा नं0 22 में 14–03बीघा अ0क0 किया गया । जिसकी समस्त किस्ते जमा करवाने पर अपीलान्ट के पिता पूर्णराम को चक 3 एस एल डी के पं0 नं0 52/17 के किला नं0 1, 2 ता 9, 10–11, 12 ता 14, 15 में 3.505 हे0 अ0क0 भूमि की खातेदारी जारी की गई । जो वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता सं0 32/1 के पं0 नं0 52/17 मु0 न0 20 के किला नं0 1/2 में 0.228 हे0, 2 ता 9/2.024 हे0 , 10/1 में 0.228 हे0 , 11/2 में 0.228 है0, 12 ता 14/0.759 हे0, 15/1 में 0.038 हे0 कुल 3.505 हे0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। शेष अधिशेष भूमि चक 3 एस एल डी के पं0 न0 52/17 मु0 [illegible] किला न0 15/2में 0.215 हे0, 18 ता 19/1.012 हे0 , 20/1 में 0.228 हे0, 21/1 में [illegible] हे0 [illegible]2 ता 25/1.012 हे0 कुल 2.695 हे0 भूमि जो अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3/1 ता 3/5 के पति/पिता बृजलाल को बालिग पुत्रो में आवंटन है मातहत न्यायालय आईएलआर की जांच रिपोर्ट में पर्चा खतौनी 25–00बीघा की जारी होने एवं आवंटन 10–17बीघा का होने के आधार पर इन्तकाल निरस्त कर दिया गया जबकि पर्चा खतौनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.28 14:59:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

जारी होते समय अपीलान्ट के पिता पूर्ण राम को 25–00बीघा बारानी भूमि टी.सी. आंवटन थी। इसी आधार पर पर्चा खतोनी जारी की गई । इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3/1 ता 3/5 श्री धनवीर सिंह हुन्दल ने भी अपीलांट द्वारा उठाये गये तथ्यों का समर्थन किया तथा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

7. पैरोकार राज ने राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस का मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावैजो का अवलोकन किया। जिससे पाया कि अपीलान्ट के पिता पूर्णराम पुत्र श्री चतराराम के नाम से रोही संगीता अगुणा के खसरा नं0 22 में 25–00बीघा भूमि टी.सी. आवंटन थी। जिसकी बन्दोबस्त विभाग के द्वारा चकबन्दी पैमूद करते वक्त पर्चा खतौनी चक 3 एस एल डी के पं0 नं0 52/17 के किला नं0 1 ता 25/25–00 बीघा भूमि अनकमाण्ड की जारी की गई । उक्त रकबा में से अपीलान्ट के पिता को पुख्ता आंवटन एवं खातेदारी चक 3 एस एल डी के पं0 नं0 52/17 के किला नं0 1 ता 14/3.542हे0 , 15/0.037 हे0 भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज हो चुकी है। शेष रकबा अपीलान्ट के पिता का सरप्लस होने के कारण अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टगण को बालिग पुत्रो में आवटन हुआ है। जिसकी पर्चा खतौनी पिता के नाम से जारी हो चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों का अवलोकन किये बिना ही मात्र पर्चा खतौनी 25–00 बीघा की मानते हुये आंवटन रकबा 10–17 बीघा होता बताते हुये निरस्त किया जो उचित नही है अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टगण को बालिग पुत्र आवंटित किया गया जो पिता को आवटित रकबा का ही भाग है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16–06–2022 जिसके द्वारा तहसील सूरतगढ़ के चक 3 एसएलडी पटवार मण्डल संगीता का इन्तकाल सं0 155 अस्वीकार किया गया है, को निरस्त किया जाता है तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टगण के नाम आवंटित रकबा का पुनः नियमानुार इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

निर्णय आज दिनांक 21.2.2023 ....को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.28 11:59:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner